न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/190

1. सुरेश उर्फ भायडा
2. रामप्रसाद
3. रमेश पिसरान स्व0 श्री शंकर जी जाति बैरवा निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री हेमेन्द्र आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के पिता श्री शंकर जी आत्मज श्री श्रवण जी जाति बैरवा निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा को ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा की आराजी गत खसरा नम्बर 1610 रकबा 05 बीघा दिनांक 20.12.1976 को आवंटित हुई थी । आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त राशि समय पर जमा करवा दी गई थी और उक्त भूमि पर दखलनामा वादीगण के पिता को दे दिया गया था । शंकर लाल जी का दिनांक 10.06.1984 को देहान्त हो गया । शंकर लाल जी की मृत्यु के पश्चात् से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि के सेटलमेंट ने नये खसरा नम्बर 1615 रकबा

1.13 हैक्टर कायम किये हैं । उक्त आवंटन को 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है इसलिए अपीलान्ट का नाम उक्त भूमि पर खातेदारी में दर्ज किया जावे ।

3. अतः वादीगण जो कि मृतक शंकर लाल जी के वारिस हैं को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावें तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2015 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद बिना किसी कारण के तथा राजस्व रिकॉर्ड देखे बिना मात्र यह कहते हुए कि अपीलान्ट द्वारा नया व पुराना ट्रेस पेश नहीं किया गया है खारिज करने में त्रुटि की है जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने वाद में नया व पुराना खसरा नम्बर का राजस्व रिकॉर्ड फर्द मिलान आदि पत्रावली में पेश किये गये हैं तथा अपीलान्ट ने उक्त आराजी पर अपने–आपको काबिज होना प्रमाणित किया है । प्रतिवादी द्वारा वादीगण अपीलान्ट के कथनों का खण्डन नहीं किया है केवल अपने जवाब में आवंटन नियमों की पालना नहीं करने का कथन किया है जबकि आवंटी मृतक शंकर लाल जी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तों की पालना की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि – विरूद्ध रूप से अपीलान्ट वादी का दावा यह कथन करते हुए खारिज किया है कि अपीलान्ट द्वारा नया व पुराना नक्शा ट्रेस पेश नहीं किया गया है, जबकि अपीलान्ट के द्वारा नया एवं पुराना खसरा नम्बरान का राजस्व रिकॉर्ड फर्द मिलान आदि पत्रावली में पेश किये गये थे । प्रतिवादी द्वारा वादी अपीलान्ट के कथन का खण्डन भी नहीं किया है । केवल अपने जवाब में आवंटन नियमों की पालना नहीं करने का कथन किया है जबकि स्व0 शंकर लाल द्वारा आवंटन नियमों की पूर्ण पालना की गई थी। सन् 1976 में आराजी अपीलान्ट के पिता को आंवटित हुई थी । उक्त आराजी के सेटलमेंट बाद नये खसरा नम्बर 1615 रकबा 1.13 हैक्टर कायम किये गये । अपीलान्ट के पिता जीवित रहे तब तक वह काबिज काश्त रहे और उनकी मृत्यु के बाद से ही अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है । सरसरी तौर पर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि–विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट आवंटन के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया है जबकि उन्हें आवंटन अधिकारी के समक्ष खातेदारी अधिकार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए । अपील एवं दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जिसमें यह कथन किया गया है कि वादीगण के पिता श्री शंकर जी आत्मज श्री श्रवण जी को ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी साबिक खसरा नम्बर 1610 रकबा 05 बीघा दिनांक 20.12.1976 को आवंटित हुई थी । उक्त आराजी की राशि वादीगण के पिता द्वारा समय पर जमा करवा दी गई थी और उक्त आराजी पर वादीगण के पिता को दखलनामा दिया गया । उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 1615 रकबा 1.13 बीघा कायम किये गये । आवंटन को 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया है । अतः वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावें ।

10. पत्रावली पर असल आवंटन आदेश प्रदर्श– 3 संलग्न है । आवंटन आदेश दिनांक 20.12.1976 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 4 संलग्न है जिसके अनुसार स्व0 शंकर लाल जी को साबिक खसरा नम्बर 1610 की 05 बीघा भूमि आवंटित की गई । मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति संलग्न है प्रदर्श– 5 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1610 मिन के हाल खसरा नम्बर कई बने हैं जिसमें 1615 रकबा 1.13 बीघा भी शामिल है । मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है । पत्रावली पर संलग्न राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2038 से 2057 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1615 रकबा 1.13 बीघा भूमि सरकारी सिवायचक दर्ज है ।

11. इस प्रकार पत्रावली पर जो राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है उसके अनुसार वादी अपीलान्ट द्वारा जिस आराजी के बाबत् खातेदारी अधिकार घोषणा की प्रार्थना की है वह राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी सिवायचक दर्ज है । अपीलान्ट वादी का यह कथन है कि हाल खसरा नम्बर 1615 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा उनके साबिक खसरा नम्बर 1610 रकबा 05 बीघा से बने हैं । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1610 मिन के कई हाल खसरा नम्बर बने हैं जिसमें से 1610/1924 का हाल खसरा नम्बर 1615 बना है । वादी अपीलान्ट के द्वारा साबिक एवं हाल खसरा नम्बरान को दर्शाते हुए नजरी नक्शा भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उनको आवंटित आराजी खसरा नम्बर 1610 रकबा 05 बीघा का हाल खसरा नम्बर 1615 बना है ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी अपीलान्ट ने ऐसी नकल जमाबन्दी भी पेश नहीं की है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1610 की आराजी उनके गैर खातेदारी में दर्ज की गई हो । यदि साबिक खसरा नम्बर 1610 की आराजी आवंटन होने के बाद अपीलान्ट वादी की गैर खातेदारी में दर्ज थी तो उन्हें नियमानुसार खातेदारी प्राप्त करने के लिए आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था और आवंटन अधिकारी के द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरान्त कि आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की गई है, आवंटी को

आवंटित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं । आवंटन के आधार पर वादी अपीलान्ट का हक घोषणा का वाद मेन्टेनेबल नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2015 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15/190

1. सुरेश उर्फ भायडा
2. रामप्रसाद
3. रमेश पिसरान स्व0 श्री शंकर जी जाति बैरवा निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2015 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 19/दावा/2011

1. सुरेश उर्फ भायडा
2. रामप्रसाद
3. रमेश पिसरान स्व0 श्री शंकर जी जाति बैरवा निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 23.07.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र आसावत एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.04.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 23.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

23/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा